संशोधित नियमावली

१. समिति का नाम - जय दुर्गा क्लीन सेवा समिति

२. समिति का पता - घोरावल बाजार, जिला- सोनभद्र

३. समिति का कार्य उद्देश्य - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

४. समिति का उद्देश्य एवं कार्य-

कोई भी व्यक्ति जो संस्था के हित व भलाई के साथ निःस्वार्थ सेवा योगदान चाहते हैं तथा १८ वर्ष की उम्र पूरी की हो उनकी सदस्यता निम्न होगी।

(अ) संस्थापक सदस्य :-

संस्था की स्थापना करने वाले सदस्य संस्थापक सदस्य कहलायेंगे व केवल एक बार ४०१/-सदस्यता शुल्क देंगे।

(ब) आजीवन सदस्य :-

वे व्यक्ति जो संस्था के कोष में रु० १०००/ नकद जमा करेंगे वे प्रबन्ध समिति में संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

(स) साधारण सदस्य :-

कोई भी भारतीय वयस्क जो संस्था के कोष में ५१/- रु० नकद वार्षिक शुल्क के रूप में जमा करेंगे वह संस्था के साधारण सदस्य माने जायेंगे।

(द) विशिष्ट हितैषी :-

कोई भी भारतीय नवयुवक जो संस्था के नियमों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है तथा जिसके विशेष ज्ञान अनुभव एवं व्यक्तित्व का उपयोग संस्था के लिये हितकर हो वे संस्था के विशिष्ट हितैषी सदस्य प्रबन्ध कारिणी समिति की स्वीकृति पर ही माने जायेंगे, जिनकी कोई सदस्यता शुल्क देय नहीं होगी वे स्वेच्छा से दान दे सकते हैं।

(य) सदस्यता की शर्तें :-

१. किसी भी प्रकार के मादक वस्तुओं के सेवन निषेध होंगे।
२. हर प्रकार से संस्था राज्य के प्रति निष्ठावान होगी।
३. उस व्यक्ति का चाल-चलन एवं व्यवहार अच्छा हो।
४. मानसिक रुप से वह व्यक्ति संतुलित हो।

(र) सदस्यता की समाप्ति :-

१. किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
२. किसी सदस्य के संस्था को क्षति पहुँचाने पर जिसका निष्कासन साधारण सभा के बहुमत द्वारा किया जायेगा।
३. किसी सदस्य के त्याग पत्र स्वीकार किये जाने पर।
४. किसी सदस्य के मस्तिष्क विकारयुक्त अथवा शारीरिक रुप से असमर्थ हो जाने पर।
५. किसी सदस्य के सदस्यता शुल्क न देने पर।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता